झारखंड उच्च न्यायालय रांची में

आपराधिक विविध याचिका संख्या **677/2021**

केदार यादव, आयु लगभग 33 वर्ष, पिता-हेसागर यादव, स्टाफ कॉलोनी, चर्च, वार्ड संख्या 8, शिवपुर, डाकघर एवं थाना- चर्चा, जिला- कोरिया, छत्तीसगढ़

याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य

विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिए: श्री. पंकज श्रीवास्तव, अधिवक्ता

विरोधी पक्ष के लिएः श्री. विनीत के. वशिष्ठ,विशेष लोक अभियोजक

सुश्री नेहाला शर्मिन, विशेष लोक अभियोजक.

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वाराः- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करते हुए दायर किया गया है, जिसमें पालामू के वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, डालटनगंज द्वारा बिश्रामपुर थाना केस संख्या 52/2015 के संबंध में जो जी.आर. संख्या 1906/2015 के रूप में पंजीकृत है और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363 और 392 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज किया गया है, में दिनांक 24.09.2016 को पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है। इसके अंतर्गत पलामू के वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, डालटनगंज ने याचिकाकर्ता को कोई नोटिस दिए बिना और याचिकाकर्ता के पीछे 2015 की अंतिम रिपोर्ट संख्या 120 को स्वीकार किया है। साथ ही, पलामू के वरिष्ठ

न्यायिक मजिस्ट्रेट, डालटनगंज को इस मामले में अन्वेषण अधिकारी को आगे और उचित जांच करने के लिए निर्देश देने के लिए उचित आदेश पारित करने के लिए कहा गया है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता 2015 के विश्रामपुर पी. एस. केस No. 52 का मुखबिर है, जिसे इसमें 07.09.2015 को आरोप लगाते हुए स्थापित किया गया है। बाइक पर सवार चार अज्ञात व्यक्तियों ने सूचना देने वाले के ट्रक को रोक दिया, जिसका पंजीकरण संख्यासीजी-15एसी-2737चार व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति ट्रक में सवार हुए और उन्हें गढ़वा ले जाने के लिए कहा।ट्रक में सवार तीन व्यक्तियों ने कुछ समय बाद हथियार की नोक पर उक्त ट्रक के चालक और क्लीनर पर हमला किया और ट्रक को अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने ट्रक के चालक और क्लीनर को जबरन शामक इंजेक्शन देकर मूर्ख बना दिया और उन्हें ट्रक से बाहर फेंक दिया और ट्रक लेकर भाग गए।किसी तरह ट्रक का चालक पास के इलाके में गया और मदद की गुहार लगाई। इलाके के निवासियों ने चालक की सहायता की और सूचना देने वाले को फोन पर सूचित किया जो उक्त ट्रक का मालिक है। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर, मामला दर्ज किया गया था, लेकिन यह आरोप लगाया गया है कि कोई जांच नहीं की गई थी और यहां तक कि सूचना देने वाले का बयान भी दर्ज नहीं किया गया था। बाद में पीड़ित ड्राइवर नरेंद्र सिंह और क्लीनर की जांच की गई।यह भी आरोप है कि बदमाश वाहन के दस्तावेजों के साथ-साथ मोबाइल फोन और चालक का लाइसेंस भी लूट ले गए। पुलिस ने मामले की जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उल्लेख किया गया कि आरोपों के संबंध में सबूतों की कमी है।डाल्टनगंज में प्रथम श्रेणी, पलामू के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा कि सूचना देने वाला अनुपस्थित है। हालाँकि सूचना देने वाले को नोटिस जारी किया गया था, फिर भी उसकी सेवा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। सूचना देने वाला काफी समय से अदालत में पेश नहीं हो रहा है जो इंगित करता है कि सूचना देने वाला मामले में रुचि नहीं रखता है और उन्होंने अंतिम प्रपत्र स्वीकार कर लिया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री पंकज श्रीवास्तव **(1985) 2** एस. सी. सी. **537** में रिपोर्ट किए गए भगवंत सिंह बनाम पुलिस आयुक्त के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं, जिसमें से पैरा ग्राफ 7 निम्नानुसार हैः

> *"7. इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूचना देने वाला रिपोर्ट पर विचार करते समय नोटिस और सुनवाई के अवसर का हकदार है। इस न्यायालय ने आगे कहा कि जहां तक घायल व्यक्ति या मृतक के किसी रिश्तेदार का संबंध है, जो सूचना देने वाला नहीं है,, स्थिति अलग है। वे किसी भी नोटिस के हकदार नहीं हैं।इस न्यायालय ने महसूस किया कि पूर्व में वर्णित नोटिस जारी करने और अवसर प्रदान करने से संबंधित प्रश्न सामान्य महत्व का था और निर्देश दिया कि*

निर्णय की प्रतियां सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को भेजी जाएं ताकि उच्च न्यायालय अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर मजिस्ट्रेटों के बीच इसे प्रसारित कर सकें।

और प्रस्तुत करतेहैं कि याचिकाकर्ता इस मामले में पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट कीस्वीकृति से पहले एक नोटिस के साथ-साथ एक अवसर की सुनवाई का हकदार है, लेकिन विद्वत निचली अदालत ने अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए उक्त आदेश पारित करके एक अवैधता की, भले ही याचिकाकर्ता को कोई वैध नोटिस नहीं दिया गया था, और इस प्रकार, याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील आगे 2016 0 सुप्रीम (पैट) 358 में रिपोर्ट किए गए नितीश कुमार सिंह उर्फ नितेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि इस प्रकारयह एक स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि जब पुलिस धारा 173 के तहत मजिस्ट्रेट को कोई रिपोर्ट भेजती है, तो सूचनाकर्ता को नोटिस और सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिएऔर यद्यपि विद्वत मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद नोटिस भी जारी किया है, लेकिन निश्चित रूप से यह सुनिश्चित नहीं करके कि सूचना देने वाले को सूचना दी गई है और बिना सूचना दिए, उसने याचिकाकर्ता/सूचना देने वाले की अनुपस्थिति में अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने में अवैधता की है।इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2015 के विश्रामपुर पी. एस. मामले में डाल्टनगंज में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पलामू द्वारा जी. आर. संख्या 1906/2015 के अनुरूप 2015 के दिनांकित 24.09.2016 आदेश को रद्द कर दिया जाए और खारिज कर दिया जाएऔर साथ ही पलामू डाल्टनगंज में प्रथम श्रेणीके विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया जाए कि वे जांच अधिकारी को उक्त मामले में आगे और उचित जांच करने का निर्देश देने के लिए उचित आदेश पारित करें।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील की प्रार्थना का जोरदार विरोध करता है और **2023** एससीसी ऑनलाइन एससी **1082** में रिपोर्ट किए गए जुनैद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करता है,उक्त फैसले का पैराग्राफ 11 निम्नानुसार हैः

"11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर. मजिस्ट्रेट तीन विकल्पों का प्रयोग कर सकता है। सबसे पहले, वह यह तय कर सकता है कि आगे बढ़ने का कोई पर्याप्त आधार नहीं और कार्रवाई रोक दी जाए।दूसरा, वह पुलिस रिपोर्ट और जारी करने की प्रक्रिया के आधार पर धारा 190 (1)

(बी) के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है और तीसरा, वह मूल शिकायत के आधार पर धारा 190 (1) (ए) के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है और धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता और उसके गवाहों से पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ सकता है।उल्लेखनीयहै कि ऐसे मामले में भी जहां धारा 173 के तहत पुलिस की अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है और आरोपी व्यक्तियों को आरोपमुक्त कर दिया जाता है, मजिस्ट्रेट के पास अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति के बाद भी उसी या इसी तरह के आरोपों पर शिकायत या विरोध याचिका पर अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति होती है।जैसा कि इस न्यायालय ने गोपाल विजय वर्मा बनाम भुनेश्वर प्रसाद सिन्हा मामले में अभिनिर्धारित किया है, जिसका अनुपालन बी. चंद्रिका बनाम संतोष मामले में किया गया है, एक मजिस्ट्रेट को केवल इस आधार पर शिकायत का संज्ञान लेने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है कि उसने पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक मजिस्ट्रेट को अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए विरोध याचिका या शिकायत की सामग्री पर अपना दिमाग लगाना पड़ता है।

और प्रस्तुत करता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद भी, मजिस्ट्रेट को उसी या इसी तरह के आरोपों पर भी शिकायत या विरोध याचिका पर अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति है।इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता के लिए उचित तरीका शिकायत या विरोध याचिका दायर करके विद्वान मजिस्ट्रेट से संपर्क करना है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आपराधिक विविध याचिकाविचारणीयनहीं होने के कारण, खारिज कर दिया जाए।

7. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने से पहले, सूचना देने वाला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत पुलिस द्वारा प्रस्तुत उक्त अंतिम रिपोर्ट पर विचार करते समय नोटिस और सुनवाई का अधिकार रखता है।जैसा कि गंगाधर जनार्दन म्हात्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य **(2004) 7** एस. सी. सी. **768**में रिपोर्ट किए गएमामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अभिनिर्धारित किया गया है जिनमें पैराग्राफ 7 और 11 निम्नलिखित हैं:

7. इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूचना देने वाला रिपोर्ट पर विचार करते समय नोटिस और सुनवाई के अवसर का हकदार है। इस न्यायालय ने आगे कहा कि जहां तक घायल व्यक्ति या मृतक के किसी रिश्तेदार का संबंध है, जो सूचना देने वाला नहीं है, स्थिति अलग है। वे किसी भी नोटिस के हकदार नहीं हैं।इस न्यायालय ने महसूस किया कि पूर्व वर्णित नोटिस जारी करने

और अवसर प्रदान करने से संबंधित प्रश्न सामान्य महत्व का था और निर्देश दिया कि निर्णय की प्रतियां सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को भेजी जाएं ताकि उच्च न्यायालय अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर मजिस्ट्रेटों के बीच इसे प्रसारित कर सकें।

11. जैसा कि भगवंत सिंह मामले [(1985) 2 एस. सी. सी. 537:1985 एस. सी. सी. (सी. आर.) 267: ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 1285] में इस न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया है, मजिस्ट्रेट को सूचना देने वाले को नोटिस देना होगा और रिपोर्ट पर विचार करते समय सुनवाई का अवसर प्रदान करना होगा। इसे इस प्रकार नोट किया गया थाः (एस. सी. सी. पी. 542, पैरा 4)

"मजिस्ट्रेट को सूचना देने वाले को नोटिस देना चाहिए और रिपोर्ट पर विचार करते समय उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए।"

8. अब, इस मामले के तथ्यों पर विचार करतेहुए,विवादित आदेश से ही यह स्पष्ट है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने से पहले याचिकाकर्ता/मुखबिर को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था, जो इंगित करता है कि विद्वत मजिस्ट्रेट कानून की उक्त आवश्यकताओं के बारे में बहुत जागरूक था, लेकिन जी. आर. संख्या 1906/2015के अनुरूप विश्रामपुर पी. एस. मामला संख्या 52/2015के डाल्टनगंज में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पलामू द्वारा पारित दिनांक 24.09.2016 का विवादित आदेश ही इंगित करता है कि याचिकाकर्ता/मुखबिर को कभी नोटिस नहीं दिया गया था।अभिलेख में सूचना की कोई वैध सेवा रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी विद्वान मजिस्ट्रेट, कानून की इस अनिवार्य आवश्यकता को नजरअंदाज करते हुए, अंतिम प्रपत्र को स्वीकार करने के बाद, इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पलामू द्वारा विश्रामपुर पी. एस. के डाल्टनगंज में पारित जी. आर. संख्या 1906/2015 के अनुरूप मामला संख्या 52/2015 कानून में टिकाऊ नहीं है।

9. तदनुसार, जी. आर. संख्या 1906/2015 के अनुरूप 2015 के विश्रामपुर पी. एस. मामला संख्या 52/2015 के डाल्टनगंज में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पलामू द्वारा पारित दिनांक 24.09.2016 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है।

10. जहाँ तक मामले की आगे की जाँच का निर्देश देने के लिए डाल्टनगंज में प्रथम श्रेणी, पलामू के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश देने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना का संबंध है, याचिकाकर्ता ने अभी तक विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया हैऔर यह न्यायालय पहले ही जी. आर. संख्या1906/2015के अनुरूप विश्रामपुर पी. एस. मामले संख्या52/2015 में डाल्टनगंज में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पलामू द्वारा पारित दिनांक 24.09.2 016 के विवादित आदेश को रद्द कर

चुका है। इसलिए, याचिकाकर्ता/सूचना देने वाला इस प्रार्थना के संबंध में विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि ऐसा आवेदन याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया जाता है, तो डाल्टनगंज में प्रथम श्रेणी, पलामू के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट कानून के अनुसार इस पर विचार करेंगे।

11. इस आपराधिक विविध याचिका का तदनुसार निबटान किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
24 जनवरी, 2024

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|